

भारत सरकार  
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं० 2134  
दिनांक 2 दिसम्बर, 2019

पीएनजी/सीएनजी का उत्पादन

2134. सुश्री ममी चक्रवर्ती:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) देश में पीएनजी और सीएनजी के आयात और घरेलू उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) पारादीप-हल्दिया-बरौनी तेल पाइपलाइन और जगदीशपुर-धामरा परियोजना में प्रगति कतनी है तथा इसमें उत्तर-पूर्व हेतु इंद्रधनुष में वर्तमान में कतना विकास हुआ है;
- (ग) क्या देश के सभी मेट्रो और शहरों में सीधे सीएनजी नेटवर्क स्थापित करने का वचार है;
- (घ) क्या सरकार का वचार व्यवसाय विकास हेतु बंगलादेश सरकार द्वारा आपूर्ति गैस के साथ कोलकाता-हल्दिया बंदरगाह में गैस भण्डारण टर्मिनल स्थापित करने का है; और
- (ङ) यदि हां, तो समझौते यदि कोई हैं, तो का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री  
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क): पेट्रो लयम आयोजना और वश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर, 2019 तक की अवधि के दौरान देश में लगभग 18,646 एमएमएससीएम प्राकृतिक गैस का घरेलू रूप से उत्पादन किया गया है और लगभग 19,031 एमएमएससीएम एलएनजी का आयात किया गया है। इस गैस से पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की मांग भी पूरी होती है।

(ख): पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस वनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने गेल को 2,655 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोजना तथा इसके अभिन्न भाग के रूप में लगभग 750 क.मी. लंबी बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन को वकसत करने के लिए प्राधिकृत किया है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी और कार्य निष्पादन के वभिन्न चरणों में है। एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) इंद्रधनुष गैस ग्रिड ल. को सभी पूर्वोत्तर राज्यों में ट्रंक पाइपलाइन संबद्धता वकसत करने के लिए निगमित किया गया है। वस्तुतः व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करना, मार्ग सर्वेक्षण, भूमि की पहचान आदि जैसे परियोजना से पहले के वभिन्न कार्यकलाप कए जा रहे हैं। दिनांक 01.11.2019 की स्थिति के

अनुसार, पारादीप-हल्दिया-बरौनी तेल पाइपलाइन के संबंध में 26.51 प्रतिशत वास्तविक प्रगति हुई है।

(ग): पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता / प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करता है। पीएनजीआरबी ने पूरे देश में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु 407 जिलों को कवर करते हुए 229 भौगोलिक क्षेत्रों को प्राधिकृत किया है।

(घ) और (ड.) : वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*

